

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायत

अज अदालत..... मुकाम.....

..... बनाम .....  
मुलाराम वडोर रावतराम वडोर

किस्म मुकदमा ..... नं. ....  
राजस्थान अधिनियम 58 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>4/2/19</p> <p>20/02/19</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुमरसिंह चौधरी ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/2/19 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी पक्षील उपस्थित। प्रप्रार्थीगणों के नोटिस तामील खुदा जात। प्रप्रार्थी संख्या 2 की नोटिस के वकील श्री रघुनाराय जाधव डारा पत्रावली नाममा पेश किया गया जिसे तामील पत्रावली किया गया। दोष प्रप्रार्थी गण वापस तामिल अनु उपस्थित। सीमान पीठामिन अधिकारी प्रप्रार्थी के पक्षारे हुए हैं। जल: मिशाल इल्लुश डोकर प्रप्रार्थी संख्या 2 के जवाब हेतु दिनांक 03/04/19 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">11</p>	<p>Handwritten signature/initials</p>

03/04/19

पार्थी व अर्पाथी संख्या- 2 के वहील

उपस्थित। अर्पाथी संख्या- 2 के वहील जवाब  
 पेश नहीं करना चाहते हैं। जिनका जवाब  
 खल रीया जाता है। वेष अर्पाथीगण वाक्य  
 लामिल अनुउपस्थित। न्यायालय समग्र तीन  
 वार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45  
 pm पर लगाई गई, अर्पाथी संख्या- 1 व उसके  
 स्वयं या उनकी माँ के कोई अधिकृत उपस्थित  
 नहीं हुआ जिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट हाथकी  
 समल के लाई जाती है। पार्थी के अधिकृत की  
 एडवोकेट बरत रुनी गई, पार्थी के अधिकृत ने  
 खलासा की पार्थी को अपने व्यावहारी खेत के चारों  
 ओर पक्के नेथम स्थापित करवाना आवश्यक है वसलिए  
 पार्थी का नेथमवनी कावेडन स्वीकार रीया जाऊ नेथम-  
 वनी कावेडन रीया जावे।

अतः पार्थी अधिकृत के निवेदन  
 पर पार्थी का नेथमवनी कावेडन स्वीकार रीया जाऊ  
 लहलीलदार खासतु को दामिदार निधुक्त रीया जाऊ है  
 व कावेडन रीया जाऊ है कि आप स्वयं या अपने  
 अधिकृत कीती श्री मू. अमिलेणु निरिक्त ले पार्थी  
 के व्यावहारी खेतों की पक्की नेथमवनी माँके पर  
 दामिदार शुल्क जमा कराऊ करे, पालना रियाई पाए  
 होने पर वामिल पत्रावली ही पत्रावली जसल शुमा  
 ही दर्ज नाबर से कम ही दाखिल दफ्तर रीया  
 03-4-2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 55

दिनांक:- 3/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मूलाराम पुत्र आदूराम वगैरा 4 जाति जाट निवासी लीलासर, कोलू तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. रावताराम पुत्र टीकूराम जाति जाट वगैरा 51 निवासी लीलासर, कोलू तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या ...../.....

आदेश

मौजा लीलासर पटवार हल्का-कोलू तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 617, 642, 664, 665 कुल रकबा 128-01 बीघा व खसरा संख्या 811/619 रकबा 16-00 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भूअ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

3/4/2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 3/4/19



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मूलाराम पुत्र आदूराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण रावताराम पुत्र श्री टीकूराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

3/4/2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु